न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – सौरभ स्वामी, आई.ए.एस.

आवेदनपत्र संख्या 119/2017
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

बूटासिंह आत्मज श्री भजनसिंह, तरखानसिख, अजीमगढ तहसील अबोहर जिला फाजिल्का(पंजाब)

.....आवेदक

बनाम

भजनसिंह आत्मज श्री सुन्दरसिंह रेशमसिंह, तरखानसिख, कोठा तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

.....अनावेदक

उपस्थिति– श्री सुरेन्द्रसिंह भनोत (आवेदक)
श्री बलविन्द्रसिंह बराड़(अनावेदक)

दिनांक 16 अगस्त, 2018

– आदेश –

आवेदनपत्र के अनुसार चक 4 ए बड़ा तहसील जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 20/1 की 80.16 बीघा कृषि भूमि आवेदक के दादा श्री सुन्दरसिंह एवं उनके दो भाईयों सर्वश्री सुच्चासिंह एवं श्री इन्द्रसिंह आत्मजन श्री किशनसिंह की संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पत्ति के रूप में खातेदारी थी. जिसमें आवेदक के दादा का 1/3 हिस्सा था जिनकी मृत्योपरान्त राजस्व अभिलेखों में 20.14 बीघा कृषि भूमि चक 4 ए बड़ा के खाता संख्या 15/8 मुरब्बा नम्बर 3, 11, 12, 13 की 20.952 हैक्टर कृषि भूमि में से 20.14 बीघा(जिसे ओदश के शेष भाग में प्रश्नगत कृषि भूमि से सम्बोधित किया जा रहा है) संयुक्त हिन्दू पकरिवार के कर्ता के रूप में श्री सुन्दरसिंह आत्मज श्री किशनसिंह के नाम पर नामान्तरकरण दर्ज किया गया. इस प्रकार उक्त कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है. श्री सुन्दरसिंह की मृत्योपरान्त प्रश्नगत कृषि भूमि आवेदक के पिता अनावेदक के नाम पर दर्ज की गयी. जिसका विभाजन नहीं किया गया है. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में सन् 2005 में संशोधनोपरान्त अनावेदक की सन्तान बहिस्सा बराबर बराबर के हिस्सेदार हैं जिसके अनुसार आवेदक का प्रश्नगत कृषि भूमि में 1/7 हिस्सा एतद्द्वारा 3.00 बीघा कृषि भूमि बनता है. अनावेदक द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि में से 1.265 हैक्टर तदानुसार 5.00 बीघा कृषि भूमि श्रीमती इकबालकौर को उपहारपत्र द्वारा अन्तरित कर दी गयी तथा 1.00 बीघा कृषि भूमि श्रीमती जगजीतकौर को विक्रय कर दी. इस प्रकार प्रश्नगत कृषि भूमि 20.14 बीघा पैतृक सम्पत्ति में से 6.00 बीघा कृषि भूमि का अन्तरण किया जा चुका है शेष कृषि भूमि अनावेदक के नाम पर यथावत चली आ रही है. अनावेदक शेष समस्त कृषि भूमि को विक्रय करने में प्रयासरत है. (यदि

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

अनावेदक द्वारा शेष समस्त कृषि भूमि को विक्रय कर दिया जाता है तो न केवल वाद बाहुल्यता उत्पन्न होगी बल्कि आवेदक का उसके जन्म से ही निहित हिस्सा समाप्त हो जायेगा. जबकि अनावेदक के पास उपलब्ध कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है. जिसमें आवेदक का बहिस्सा बराबर बराबर हक व अधिकार निहित है. इस प्रकार प्रथम दृष्टया वादकरण आवेदक के पक्ष में प्रमाणित होता है. यदि कृषि भूमि विक्रय कर दी गयी तो आवेदक को अपूर्णनीय क्षति होगी और वाद बाहुल्यता बढ जायेगी. इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन आवेदक के पक्ष में है इस प्रकार आवेदक द्वारा चक 4 ए बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 15/8 मुरब्बा नम्बर 3, 11, 12, 13 की 20.952 हैक्टर कृषि भूमि में से शेष 14.14 बीघा कृषि भूमि को बंधक, विक्रय अथवा किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं करने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में नामान्तरकरण संख्या 23, चक 4 ए बड़ा के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069 की प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

अनावेदक अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित.

अनावेदक की ओर से जवाब आवेदनपत्र दिनांक 28 फरवरी, 2018 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार अनावेदक के नाम पर दर्ज 2.14 बीघा कृषि भूमि खातेदारी दर्ज है जिसका वह अपने जीवनकाल तक स्वयं मालिक काबिज एवं हकदार होने से कारण किसी भी दृष्टिकोण से पैतृक सम्पत्ति की परिभाषा में नहीं आती क्योंकि पैतृक सम्पत्ति केवल चौथी पीढी में आने पर ही बनती है. अतः पैतृक सम्पत्ति नहीं होने से वादी वादपत्र प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है जिसे किसी भी प्रकार का वादकरण उत्पन्न नहीं होने से प्रकरण निरस्त किये जाने योग्य है. आवेदक द्वारा वादपत्र के अनुतोष में 20.14 बीघा में से 1/7 हिस्सा होने के कथन किये गये हैं जबकि उपहारपत्र एवं विक्रय विलेखों को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जाकर निरस्त नहीं करवाया गया है. इस प्रकार आवेदक किसी भी दृष्टिकोण से 20.14 बीघा में से 1/7 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है. अनावेदक अपनी खातेदारी कृषि भूमि जिसका अपने जीवनकाल में कानूनन हकदार है, का हर प्रकार से उपयोग एवं उपभोग करने का अधिकारी है तथा किसी भी अभिलेखीय खातेदार के विरूद्व कानूनन कोई अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती. आवेदक न तो अभिलेखीय खातेदार है व न ही उसका प्रश्नगत कृषि भूमि के किसी भाग पर कब्जा ही है. इस प्रकार कोई भी बिन्दु आवेदक के पक्ष में नहीं है. आवेदक द्वारा वादपत्र में अन्य प्रतिपक्षकार स्थापित किये गये हैं जिन्हें आवेदनपत्र में प्रतिपक्षकार नहीं बनाया गया इसलिये आवेदनपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. आवेदक द्वारा वादपत्र में स्पष्ट कथन किया गया है कि उसका 14.14 बीघा कृषि भूमि में से 1/7 हिस्सा बनता है जबकि वास्तव में आवेदक का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता. ऐसी स्थिति में, आवेदक 14.14 बीघा की बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है. अतिरिक्त आपत्तियों में

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक, फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

अंकित किया गया कि आवेदक द्वारा मूल वाद पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 7 के रूप में श्री करनैलसिंह आत्मज श्री हरनामसिंह को पक्षकार बनाया गया है एवं प्रतिवादी संख्या 16 के रूप में श्री बलवीरसिंह को पक्षकार बनाया गया है जबकि इन दोनों की मृत्यु काफी समय पूर्व हो चुकी है तथा जमाबन्दी में भी नामान्तरकरण संख्या 449 दिनांक 14 अक्तूबर, 2013 श्री करनैलसिह की मृत्योपरान्त वारिसान के नाम पर दर्ज किया गया है, इसी प्रकार नामान्तरकरण संख्या 455 दिनांक 5 जून, 2014 श्री बलवीरसिंह की मृत्योपरान्त वारिसान के नाम पर दर्ज किया गया है. इस प्रकार मूल वाद मृतक व्यक्तियों के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है जबकि कानूनन न तो किसी मृतक के विरूद्व आदेश पारित किया जा सकता है एवं न ही कानूनन किसी मृतक के विरूद्व वाद प्रस्तुत किया जा सकता है अथवा कार्यवाही की जा सकती है. वादी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है. आवेदक द्वारा श्री बलवीरसिंह मृतक की पत्नी श्रीमती दलीपकौर जिसका नाम नामान्तरकरण संख्या 455 दिनांक 5 जून, 2014 में दर्ज है, कमो पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि समस्त खाता में श्रीमती दलीपकौर का भी हक व हिस्सा जमाबन्दी के अनुसार बनता है. मूल वाद के प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का भी श्री भजनसिंह के जीवनकाल में पैतृक सम्पत्ति न होने से कोई हक व हिस्सा नहीं बनता जिन्हें गलत तौर पर पक्षकार बनाया गया है इस प्रकार वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. इस प्रकार आवेदनपत्र सव्यय निरस्त करने का निवेदन किया गया.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी जिसमें अनावेदकगण अधिवक्ता द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने में अपनी सहमति प्रस्तुत की गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2018 DNJ (sc) 826 Shyam Narayan Prasad vs. Krishna Prasad & ors. का ससम्मान अवलोकन किया गया.

अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु महत्वपूर्ण तीनों बिन्दुओं कमशः प्रथमदृष्टया वादकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमेय क्षति की विवेचना की गयी.

हिन्दू कानून के अनुसार चक 4 ए बड़ा के खाता संख्या 15/8 मुरब्बा नम्बर 3, 11, 12, 13 की 20.952 हैक्टर कृषि भूमि में से 20.14 बीघा कृषि भूमि अनावेदक को अपने पिता की मृत्योपरान्त विरासतन प्राप्त हुआ है, जिसमें आवेदक का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है इसलिये यदि उपहारपत्र एवं विकय विलेख द्वारा अन्तरित कृषि भूमि के बाद शेष कृषि भूमि को अन्तरित किया जाता है तो पक्षकारान के मध्य वाद बाहुल्यता उत्पन्न होगी. ऐसी स्थिति में, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमेय क्षति का बिन्दु आवेदक के पक्ष में पाया जाता है.

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

अतः आदेश दिया जाता है कि, अनावेदक, मूल वाद के निस्तारण तक, चक 4 ए बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 15/8 मुरब्बा नम्बर 3, 11, 12, 13 की 20.952 हैक्टर कृषि भूमि में से शेष 14.14 बीघा कृषि भूमि में से 1/7 हिस्सा कृषि भूमि को बंधक, विक्रय अथवा किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं करने से निषिद्व रहे.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 16 अगस्त, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.